

15.10.2024:—पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित नही। प्रार्थी का मूल वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज हो गया है। इसलिए मूल वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

Handwritten signature

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

